न्यायालय एम0ए0सी0टी0/प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,देहरादून।
एम0ए0सी0पी0 संख्या–248/2022
अजय कुमार सिंह————बनाम————आनन्द आदि

दिनॉकः–02.09.2025

पत्रावली पेश हुयी। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं।

2. प्रार्थना पत्र कागज संख्या–38सी2 पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. प्रार्थना पत्र कागज संख्या–38सी2 याची की ओर से संलग्न सूची से से दाखिल दस्तावेज को पत्रावली पर ग्रहित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा कहा गया है कि उक्त दस्तावेज वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक हैं।

4. विपक्षीगण की ओर से आपत्ति कागज संख्या–40सी2 दाखिल करते हुये कहा गया है कि याची का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं है ना ही याची ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया है। याची द्वारा दस्तावेज सूची के माध्यम से जो दस्तावेज दाखिल किये गये हैं, मात्र छायाप्रति हैं, जिसे साक्ष्य के रूप में गृहित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक नहीं है। याची द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जो दस्तावेज उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल किये जा रहे हैं वह मूल दस्तावेजों की हू–ब–हू छायाप्रति है तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उप. रोक्त दस्तावेज वाद निर्णय में किस प्रकार सहायक हैं। प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है तथा खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की **यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम इब्राहिमुद्दीन व अन्य,2012 (94) ए.एल.आर. एवं जी0 शशिकला बनाम जी0 कलावती बाई, सिविल अपील संख्या 3969–3970 वर्ष 2019 के निर्णय दिनांकित 16.5.2019 में** यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि अपील के लम्बित रहने के दौरान आदेश–41 नियम–27 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्रों को पृथक से निस्तारित नहीं किया जायेगा। अतः उपरोक्त न्याय निर्णय के आलोक मे याची की ओर से प्रस्तुत प्रा. र्थना पत्र कागज संख्या–38सी2/1 के साथ दाखिल दस्तावेज कागज संख्या–38सी2/41सी/1 को एम0ए0सी0पी0 वाद के अन्तिम निस्तारण के समय ही विचार मे लिया जाना है।

6. तदनुसार उपरोक्त परिस्थितियों में याची द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र कागज संख्या–38सी2/1 के साथ दाखिल दस्तावेजों 38सी2/41सी/1 पर एम0ए0सी0पी0 वाद में अन्तिम निस्तारण के समय विचार किया जायेगा।

विपक्षीगण यदि चाहे तो उक्त दस्तावेजों के सम्बन्ध में खण्डन दस्तावेज दाखिल करने हेतु स्वतन्त्र हैं।

7. पत्रावली वास्ते जिरह दिनॉक 07.10.2025 को पेश हो।

(महेश चन्द्र कौशिवा)
दिनांक–02.09.2025 **एम0ए0सी0टी0/प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,**
देहरादून।